Result Mitra Daily Magazine

हिमाचल प्रदेश का नया विधेयक

हालिया संदर्भ :

- हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष करने के लिये एक विधेयक पारित किया है।
- बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा 2006 के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

सरकार का तर्क :

- विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल्य ने कहा कि विवाह की उम्र बढाने से लडकियों को आगे बढने के अधिक अवसर मिलेंगे।
- इस प्रावधान से बाल-विवाह पर रोक लगेगी, साथ ही ऐसा होने से कम उम्र में शादी और माँ बनने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नकरात्मकता को भी रोका जा सकता है।

प्रावधान :

- विधेयक के प्रावधान हिमाचल प्रदेश (HP) राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
- विधेयक के प्रावधान भारतीय ईसाई विवाह एक्ट 1872, पारसी विवाह एवं तलाक एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन एक्ट 1937, विशेष विवाह एक्ट 1954, हिन्दू विवाह एक्ट 1955 सहित अन्य सभी प्रथाओं या वर्तमान में लागू बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 (केन्द्रीय कानून) पर भी लागू होता है।

- हिन्दू विवाह एक्ट, 1955 की धारा 5(iii) के अनुसार दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 एवं दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिये।
- भारतीय ईसाई विवाह एक्ट, 1872 एवं विशेष विवाह एक्ट, 1954 के तहत ईसाईयों के लिये भी न्यूनतम उम्र सीमा (विवाह) हिन्दू विवाह एक्ट, 1955 के समान ही है।
- मुसलमानों के लिये न्यूनतम उम्र का मानदंड यौवन प्राप्त करने से है, जिसके तहत विवाह के लिये लडका-लडकी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष मानी जाती है।

आबादी विवरण :

- HP एक हिन्दू बहुल राज्य है, जिसमें हिन्दू की आबादी लगभग 95.17% है।
- मुस्लिम की आबादी लगभग 1.5 लाख है, जो HP के कुल आबादी का 2.18% है।
- सिख की आबादी 1.16%, बौद्ध की आबादी 1.15% एवं ईसाई की आबादी 0.18% है।
- HP में साक्षरता दर काफी उच्च, 82.80% है, जो राज्य में लैंगिक समानता का एक संकेतक है।
- HP में बाल-विवाह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है।

केन्द्र का प्रस्ताव :

- 2020 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिये एक समिति के गठन की घोषणा की थी।
- 2021 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- Dec 2021 में इस संबंध में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
- इस विधेयक पर लगातार चर्चा होती रही ओर स्थायी समितियों ने इस संबंध में सुझाव भेजे लेकिन आगे की कारवाई नहीं हो सकी।
- नियमत: 17वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया।

Result Mitra

विधेयक की आगे की राह :

- विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के पास स्वीकृति के लिये भेजा जाएगा।
- माना जा रहा है कि चूँकि HP विधानसभा द्वारा पारित विधेयक केन्द्र के प्रस्ताव के अनुरूप है, इसलिये राज्यपाल इस पर अपनी स्वीकृति अवश्य देंगे, जिसके बाद यह 'एक्ट' बन जाएगा।
- संशोधन विधेयक के एक्ट बनने के बाद व्यक्तिगत कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, विशेषकर मुस्लिम कानून में बदलाव से महत्वपूर्ण कानूनी-विवाद उत्पन्न हो सकता है।
- चूंकि HP का यह कानून केन्द्रीय कानून (मुस्लिम एवं विवाह) से मेल नहीं रखता है, ऐसे में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की भी आवश्यकता हो सकती है।

तर्क-वितर्क :

- सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बाल-विवाह को गैर कानूनी बनाने के साथ इसे रोकना भी है।
- बाल-विवाह को नियंत्रित करने के लिये बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 यानि POSCO भी है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि HP में ऐसा कानून कारगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सामान्यतः महिलाएं 21-22 वर्ष में ही विवाह करती है, लेकिन UP, बिहार जैसे राज्यों में ऐसे कानून को लागू करना ज्यादा कठिन है।
- ऐसे राज्यों में इस स्थिति में भगाकर शादी करने एवं लिव-इन-रिलेशनशिप के मामले बढ सकते हैं।

Result Mitra TM